**भारत सरकार**
**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**
**कृषि एवं किसान कल्याण विभाग**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1034**
**08फरवरी, 2022 को उत्तरार्थ**

**विषय: अच्छे गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता:**

**1034श्री भर्तृहरि महताब:**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि मुख्यत: अच्छे गुणवत्तायुक्त बीजों की कीमतें अत्यधिक होने के कारणउक्त बीज अधिकांश किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों की पहुंच से बाहर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या देश में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वर्ष 1966-67 में जिस 'अधिक पैदावार वाली किस्मों संबंधी कार्यक्रम' (एचवाईवीपी) को प्रमुख सबलकारी योजना के रूप में शुरू किया गया था, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकी है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना द्वारा हासिल किए गए विकास संबंधी लक्ष्य का ब्यौरा क्या है और पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन तथा देश के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के अनुकूल किस्मों की विविधता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)**

(क) और (ख): देश भर में सभी किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रमाणित/गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध हैं। पिछले तीन वर्षों में देश में बीज की आवश्यकता और उपलब्धता का विवरण नीचे दिया गया है: -

(मात्रा लाख क्विंटल में)

| वर्ष | आवश्यकता | उपलब्धता | अधिशेष |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 387.31 | 431.01 | 43.70 |
| 2020-21 | 443.16 | 483.66 | 40.50 |
| 2021-22 | 465.36 | 498.83 | 33.47 |

किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों को उचित दाम एवं समय पर उपलब्ध करानेके लिए, सरकारआधारीयऔर प्रमाणित बीज के उत्पादन लागत को कम करने हेतु आईसीएआर के परामर्श से एक

समान प्रजनक बीज मूल्य का निर्धारण सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, सरकार बीज के उत्पादन, वितरण और बीज क्षेत्र से संबंधित अन्य हस्तक्षेपों के लिए विभिन्न योजनाओं यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी) आदि केमाध्यम से विभिन्न राज्यों और सरकारी बीज उत्पादक एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ग) और (घ): इस कार्यक्रम के कारण सभी फसलों में एक महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि हासिल की गई है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1950-51 से 2020-21 तक खाद्यान्न में 6.07 गुना, दलहन में 3.06 गुना, तिलहन में 6.98 गुना, कपास में 11.93 गुना और गन्ने के मामले में 7 गुना उत्पादन वृद्धि हुई है। आईसीएआर और डीएएंडएफडब्ल्यू के सामूहिक प्रयासों ने हाल ही के वर्ष में नई जारी किस्मों को बीज श्रृंखला में लाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2020-21 के दौरान, उत्पादित कुल 115517 क्विंटल प्रजनक बीज में से 44705 क्विंटल (~38.7%) और 66422 क्विंटल (~57.5%) क्रमशः पांच साल और दस साल से कम अवधि की किस्मों काहै, जिनमें से कुछ बायो-फोर्टिफाइड और बहु तनाव सहिष्णु किस्में हैं। ये सभी प्रयास किस्म विविधीकरण और उत्पादकता वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा, किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं: -

1) राज्य सरकारें अपने राज्य में बीज की आवश्यकता का अनुमान लगाने और विभिन्न बीज उत्पादन एजेंसियों को तदनुसार बीज उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए तीन साल पहले से बीज रोलिंग प्लान तैयार कर रहीं हैं। यह प्रणाली विभिन्न राज्यों में किसानों को आवश्यक मात्रा में बीज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करती है।

2) राज्य सरकारें व्यवस्थित प्रजनक बीज उत्पादन के लिए अपने प्रजनक बीज को एक वर्ष पहले से ही तटस्थ फसलों की मांग कर रही हैं। उत्पादन के बाद,आधारीयऔर प्रमाणित बीज को और बढ़ाने तथा किसानों को इसका वितरण करने के लिए प्रजनक बीज राज्य सरकारों और बीज उत्पादक एजेंसियों को आवंटित किए जाते हैं।

3) किसी भी अप्रत्याशित जलवायु स्थिति के लिए, हर साल बीज रिजर्व बनाने हेतु विभिन्न राज्यों में एक राष्ट्रीय बीज रिजर्व की स्थापना की जाती है जिसमें अल्प, मध्यम अवधि और तनाव सहिष्णु किस्मों के बीज होते हैं।

*****